WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–9055 / 2019

श्रीमती सदफ जाफर आयु लगभग 43 वर्ष पत्नी आबिद अब्बासी, निवासी कालिन्दी विला, सुषमा हॉस्पिटल के सामने, गोमती नगर, जनपद लखनऊ। उ0प्र0

.....आवेदिका / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्याः 600 / 2019
धारा–147,148,149,152,307,323,504,506,332,353, 188,435,436,120बी,427 भा0द0सं0, धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनिम एवं धारा 7 क्रि0लॉ0ए0ऐक्ट, थानाः हजरतगंज, लखनऊ

04–01–2020

1. मुकदमा अपराध संख्याः 600 / 2019, अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा 7, थानाः हजरतगंज, लखनऊ के प्रकरण में आवेदिका / अभियुक्ता श्रीमती सदफ जाफर का जमानत आवेदन–पत्र प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 23–12–2019 को निरस्त होने के उपरान्त, यह जमानत आवेदन–पत्र सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अन्तरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. आवेदिका / अभियुक्ता की ओर से अपने जमानत आवेदन पत्र में यह कहा गया है कि दिनांक 19–12–2019 को परिवर्तन चौक पर एक शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलायें तथा बच्चों ने भाग लिया था तथा उपरोक्त प्रदर्शन को टी0वी0 चैनेल एवं अनेकों व्यक्तियों द्वारा कवर भी किया गया था। उपरोक्त प्रदर्शन में कतिपय असामाजिक तत्व प्रवेश कर गये, जिन्होंने उपद्रव किया तथा उपरोक्त समस्त कृत्य, मीडिया एवं पुलिस के समक्ष हुए एवं पुलिस द्वारा उन्हें आसानी से पहचाना जासकता था, किन्तु पुलिस ने आवेदिका / अभियुक्ता को ही उस समय गिरफ्तार कर लिया जबकि वह स्वयं घटनाक्रम का वीडियो तैयार कर रही थी तथा पुलिस को ऐसे असमाजिक तत्वों को पहचानने में मदद का प्रयास कर रही थी। प्रकरण में आवेदिका / अभियुक्ता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। आवेदिका / अभियुक्ता एक स्कूल टीचर है तथा सामाजिक कार्यकर्ता है तथा इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। घटनास्थल से ही आवेदिका / अभियुक्ता द्वारा ए0बी0पी0 न्यूज चैनेल को साक्षात्कार भी दिया गया है, जिसमें आवेदिका / अभियुक्ता ने किसी भी आपराधिक कृत्य का विरोध भी किया था और उसी समय मीडियाकर्मी द्वारा यह भी बताया गया था कि कतिपय असमाजिक तत्व वाहनों को आग लगा रहे हैं। उक्त तथ्य स्वयं यह प्रकट करते हैं कि कथित अपराध में आवेदिका / अभियुक्ता की

WWW.LIVELAW.IN

कोई भूमिका नही है। आवेदिका/अभियुक्त दिनांक 19–12–2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से यह तर्क किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता विधि विरुद्ध जमाव की सदस्या थी तथा उसे मौके पर ही पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह भी कहा गया है कि शहर में धारा 144 दं0प्र0सं0 का आदेश लागू होने के उपरान्त भी विधि विरुद्ध जमाव कायम किया गया तथा पुलिस बल पर जानलेवा हमला व सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों को आगजनी व तोड़फोड़ करके अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

4. प्रकरण में श्री धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज ने थाना हजरतगंज पर इस आशय की लिखित तहरीर दी कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 एवं नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन बिल को लेकर आइसा, रिहाई मंच, बामसेफ, पीएफआई, शराब मुक्ति मोर्चा, नागरिक एकता पार्टी आदि संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा परिवर्तन चौक में दिनांक 19–12–2019 को दोपहर दो बजे भारी संख्या में उक्त दोनों बिलो/अधिनियम के विरोध स्वरूप एकत्र होने के लिए जन सामान्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अपील की जा रही थी, जबकि शहर में धारा 144 दं0प्र0सं0 लागू थी। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के जुलूस, धरना व प्रदर्शनों को अवैधानिक व विधि विरुद्ध घोषित करते हुए प्रतिबन्धित कर दिया गया था तथा इसकी सार्वजनिक सूचना प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से तथा सम्बन्धित थानों से प्रचारित व प्रसारित की गयी कि विधि विरुद्ध जमाव एवं भीड़ द्वारा कोई अवैधानिक व विधि विरुद्ध कार्य न किया जा सके। उक्त हेतु जब यह अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में परिवर्तन चौक पर मौजूद थे, तब दोपहर 13:15 बजे अलग–अलग रास्तों से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार काफी संख्या में लोग परिवर्तन चौक की तरफ आने लगे, जिन्हें वहॉ मौजूद कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूसों के प्रतिबन्धित होने के बारे में समझाया गया तथा वापस चले जाने को कहा गया, किन्तु उपरोक्त संगठनों के पदाधिकारी के आवाहन पर एकत्रित हुई भीड़ बातों को अनसुना करते हुए उग्र होने लगी तथा सरकारी बस यूपी 33 एटी 0489, न्यूज नेशन मीडिया की ओवी वैन इनोवा यूपी 16 सीटी 8534 व आजतक व न्यूज 18 की गाड़ी में व एक अर्टिगा कार व एक मोटरसाइकिल जिसका नम्बर यूपी 32 जेएफ 6499 मोटरसाइकिल पैशन प्रो व पुलिस कर्मचारियों की स्कूटी व मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी गयी। बेगम हजरत महल पार्क की रेलिंग को तोड़कर अन्दर घुसकर तोड़फोड किया गया तथा सहादत अली का मकबरा को भी छतिग्रस्त कर दिया गया व आगजनी करते हुए

WWW.LIVELAW.IN

दहशत का माहौल पैदा कर पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से अवैध असलहों, पेट्रोल बम व लाठी, डण्डा, ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया। उक्त कृत्य से लोक व्यवस्था पूरी तर छिन्न भिन्न हो गयी, चारो तरफ अफरातफरी व भगदड़ मच गयी। करोड़ों रुपयों की सरकारी स्म्पत्ति व निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ व सम्पत्ति जलकर राख हो गयी। उपरोक्त घटनाकम में प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज, उनके हमराही पुलिसकर्मी, महिला पुलिस बल तथा पुलिस के उच्चाधिकारी काफी चोटहिल हो गये तथा सी0ओ0 श्री उपेन्द्र कुमार के सिर में गम्भीर चोटें आयीं। मौके पर हमलावरों में से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस बल द्वारा आंसू गैस, रबर बुलेट तथा शार्ट रेन्ज सेल से चार कारतूस भी फायर किये गये। इसके अतिरिक्त लांग रेन्ज सेल के भी अश्रुगैस, मिर्ची हथगोला तथा फायर भी किये गये। पत्थरबाजी में कांस्टेबिल अंकुर कुमार की मैगजीन स्टड टूट गयी। मौके पर आवेदिका/अभियुक्ता सदफ जाफर सहित कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीर में यह भी अंकित किया गया कि उक्त घटनाकम 13:15 बजे से देर शाम तक चलता रहा। लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न रही तथा तनाव बना हुआ है। परिवर्तन चौक, हजरतगंज व आस–पास की सभी दुकानें दोपहर से बन्द है, मेट्रो रेल सेवा भी प्रभावित हुई है।

उपरोक्त आधार पर दिनांक 19–12–2019 को 23:17 बजे आवेदिका/अभियुक्ता सदफ जाफर एवं 33 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा किमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा 7, की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज पर अंकित की गयी।

5. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 19–12–2019 के अपरान्ह 13:15 बजे से सायंकाल तक की बतायी जाती है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 23:17 बजे अंकित करायी गयी है।

प्रकरण की केस डायरी के पर्चा संख्या–10 दिनांकित 27–12–2019 में विवेचक ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–12–2019 को संलग्न किया है। उपरोक्त आदेश 6 पृष्ठों में है तथा सन्दर्भित आदेश में यह उल्लिखित है कि "माननीय उच्चतम न्यालय द्वारा श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में निर्णय के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, – – – –कतिपय असामाजिक, जातिवाद, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव व हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, – – – –" तदैव लोक परिशान्ति भंग को रोकने के उद्देश्य से प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया, जिसमें कुल 38 बिन्दु समाहित थे। उपरोक्त विस्तृत सूचना से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु स्थानीय समाचार–पत्रों में ऐसा कोई प्रकाशन किया गया हो, इस सन्दर्भ में अब तक की विवेचना में प्रकरण के विवेचक द्वारा कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है।

WWW.LIVELAW.IN

प्रस्तुत घटना कम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम एवं नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन बिल के विरुद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध हेतु लोगों को आहूत किया जाना कहा गया है। आवेदिका/अभियुक्ता एक शिक्षिका है तथा यह कथन किया गया है कि यह सामाजिक कार्यकर्ता है। न्यायालय के समक्ष दौरान तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि अब तक की विवेचना में घटनाकम में की गयी आगजनी के सन्दर्भ में आवेदिका/अभियुक्ता की विशिष्ट भूमिका के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तथा इस सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण की केस डायरी के पर्चा सख्या–1 में कथित रूप में चोटहिल पुलिस अधीक्षक, नगर (पूर्वी) श्री सुरेश चन्द्र रावत को आयी हुई चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी गयी हैं, जबकि उप निरीक्षक श्री विजय शंकर तिवारी, उप निरीक्षक प्रियम्बन्द मिश्रा को मात्र दर्द की शिकायत होना बतलाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 19–12–2019 से अभिरक्षा में है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपराध की प्रकृति एवं मामले की परिस्थितियों में उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत आवेदन–पत्र कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **श्रीमती सदफ जाफर** का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा **पचास हजार रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी राशि की **दो** जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इन्हें निम्नांकित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:–

(1) अभियुक्ता विवेचक द्वारा आहूत किये जाने की स्थिति में उपस्थित होंगी तथा विवेचना में सहयोग करेंगी।
(2) अभियुक्ता किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगी।
(3) अभियुक्ता प्रकरण में घटनाकम से सम्बन्धित किसी भी साक्षी को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी।

दिनांक: 04–01–2020

04.1.2020

(संजय शंकर पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

शिवराम निगम, स्टेनो/–